

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अददांकी,
अपर परियोजना निदेशक,
रुसा परियोजना निदेशालय,
21/20 ई0सी रोड़,
देहरादून।

सेवा में,

- (1) कुलपति
कुमाऊँ दून व उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
- (2) प्राचार्य/प्राचार्या,
रुसा से आच्छादित 36 राजकीय महाविद्यालय।

पत्रांक : 613 (13)/रुसा/2015-16

दिनांक : 28 दिसम्बर 2015

विषय : 'रुसा' परियोजना की समीक्षा।

महोदय,

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को आयोजित उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् की बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालनार्थ 'रुसा' परियोजना की समीक्षा करने हेतु अनुरोध है कि जिन शिक्षण संस्थाओं को 'रुसा' के अनुदान की प्रथम किस्त अवमुक्त कर दी गई है, वह संस्थाएँ संलग्न प्रपत्र पूर्ण कर दिनांक 10 जनवरी 2016 तक तथा जिन शिक्षण संस्थाओं को अनुदान अवमुक्त नहीं किया गया है, वह संस्थाएँ अनुदान प्राप्त होने के दस दिन के अन्दर संलग्न प्रारूप पूर्ण कर रुसा परियोजना निदेशालय, 21/20 ई0सी0 रोड़, देहरादून में ई-मेल (rusa.he.2013@gmail.com) तथा डाक द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। रुसा के घटक संख्या 3,5 एवं 7 से आच्छादित शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रपत्र (अ) में, घटक संख्या-4 से आच्छादित शिक्षण संस्था द्वारा प्रपत्र (ब) में तथा घटक संख्या-11 से आच्छादित संस्था द्वारा प्रपत्र (स) में सूचनाएँ उपलब्ध कराई जानी हैं। निकट भविष्य में 'रुसा' परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा की जानी प्रस्तावित है। अतः इस कार्य में समयबद्धता व गंभीरता का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। रुसा परियोजना निदेशालय से अधिकांश पत्राचार ई-मेल के माध्यम से किया जाता है। अतः शासकीय निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रतिदिन ई-मेल का अवलोकन करने का भी कष्ट करें।

संलग्न : यथोक्त

भवदीय



(श्रीधर बाबू अददांकी)

अपर परियोजना निदेशक, रुसा

पृष्ठांकन संख्या : 54 (13)/रुसा/2015-16 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रमुख निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

(श्रीधर बाबू अददांकी)

अपर परियोजना निदेशक, रुसा

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) का समीक्षा प्रपत्र
(रुसा के घटक संख्या 11 के लिए)

1 (i)	संस्था का नाम	
(ii)	संस्था का ई-मेल	
(iii)	संस्था की वेबसाइट	
2 (i)	संस्थाध्यक्ष (कुलपति) का नाम,	
(ii)	संस्थाध्यक्ष (कुलपति) का ई-मेल	
(iii)	संस्थाध्यक्ष (कुलपति) का मोबाइल नं०	
3 (i)	संस्थागत नोडल अधिकारी (रुसा) का नाम	
(ii)	संस्थागत नोडल अधिकारी (रुसा) का ई-मेल	
(iii)	संस्थागत नोडल अधिकारी (रुसा) का मोबाइल नं०	
4	संस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता (अधिकतम 25 शब्दों में)	
5	एकेडमिक स्टाफ कालेज द्वारा विगत 3 वर्षों में आयोजित पाठ्यक्रमों में लाभान्वितों की वर्षवार संख्या	
(i)	प्रथम वर्ष	
(ii)	द्वितीय वर्ष	
(iii)	तृतीय वर्ष	
(iv)	योग	
6	संस्था का 'नॉक' से प्रत्यायन	
(i)	प्रत्यायन का माह, वर्ष एवं प्राप्त ग्रेड	
(ii)	यदि प्रत्यायन नहीं हुआ है तो 'नॉक' को एल०ओ०आई० प्रेषित करने की तिथि	
(iii)	यदि प्रत्यायन के लिए एल०ओ०आई० प्रेषित नहीं की गई है तो एल०ओ०आई० प्रेषित करने की प्रस्तावित तिथि	
(iv)	अभ्युक्ति (यदि कोई हो)	
7	ए०आई०एस०एच०ई० पोर्टल में शिक्षण संस्था की सूचनाओं की अपलोडिंग	

(i)	अपलोडिंग की तिथि		
(ii)	यदि सूचनाएँ अपलोड न की गई हों तो अपलोडिंग की प्रस्तावित तिथि		
(iii)	अभ्युक्ति (यदि कोई हो)		
8	'रुसा' के घटक संख्या 11 के अन्तर्गत डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कार्ययोजना		
	क0स0	प्रस्तावित कार्य	मात्रा / माप
			प्रस्तावित धनराशि (रुपये)
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
	(iv)		
	(v)		
	(vi)		
	(vii)		
	(viii)		
	(ix)		
	(x)		
	(xi)		
	(xii)		
	(xiii)		
	कुल योग		
9	शासन द्वारा 'रुसा' के घटक संख्या. 11 के अन्तर्गत कुल अनुमोदित अनुदान	रु0	
10	डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कुल धनराशि तथा शासन द्वारा अनुमोदित अनुदान में अंतर	रु0	
11	शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान :		
(i)	अनुदान की प्रथम किस्त की धनराशि	रु0	
(ii)	शिक्षण संस्था के 'रुसा' के बैंक खाते में अनुदान की किस्त जमा की तिथि		
12	अनुदान की अवमुक्त धनराशि का प्रस्तावित उपयोग :		
	क.सं.	प्रस्तावित कार्य	उपयोग हेतु प्रस्तावित धनराशि (रुपये)
			कार्य पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		

	(iv)			
	(v)			
	(vi)			
	(vii)			
	(vii)			
	(ix)			
	(x)			
	(xi)			
	(xii)			
	(xiii)			
13	'रुसा' के अन्तर्गत सामग्री क्रय तथा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चयन एवं निर्धारित तिथि में कार्य पूर्ण करने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना			
14	अवमुक्त अनुदान की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र, रुसा परियोजना निदेशालय को उपलब्ध कराने की प्रस्तावित तिथि			
15	प्रथम किस्त के उपभोग के उपरान्त अनुदान की द्वितीय किस्त के लिए संशोधित डी.पी. आर. उपलब्ध कराने की प्रस्तावित तिथि			
16	अन्य कोई सम्बन्धित सूचना :			

तिथि -

संस्थाध्यक्ष का नाम व हस्ताक्षर

स्थान -

नोट : प्रपत्र में प्रत्येक बिन्दु पर सूचना अंकित की जानी अनिवार्य है। कृपया सूचना अंकित करने में - या N.A. का प्रयोग न किया जाय तथा सम्बन्धित बिन्दु में वांछित सूचना की सुस्पष्ट स्थिति अंकित की जाय।